संख्या- 16 /2021/1030/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के लिए राजस्व लेखा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्रांक-नि0हो0/1073-बी/82/21-22/1386, दिनांक 05-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में होम्योपैथी विभाग हेतु अनुदान संख्या-83 के राजस्व लेखे के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 786.03 लाख (रूपये सात करोड़ छियासी लाख तीन हजार मात्र) को संलग्नक- 1 में वर्णित लेखा शीर्षक व मानक मदों में मदवार विभाजन के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/ नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाय।

4- पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का यथासमय समुचित प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

5- स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7- उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निधारित प्रपत्र पर माह 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

9- बजट में प्राविधानित धनराशि एक साथ आहरित न की जाय। उक्त धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं किया जायेगा तथा वास्तविक व्यय का आंकलन कर तद्नुसार आवश्यक अपेक्षित धनराशि ही आहरित की जाय।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 16/2021/1030(1)/96-आयुष-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, गोरखपुर/अलीगढ़ (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 16/2021/1030/96-आयुष-2-2021-20(बी)/2018, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 का संलग्नक-1

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्याः-83 लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-0306-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज"	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियॉ
1	2	3
01-वेतन	88.61	88.61
02-मजदूरी	4.00	4.00
03-मॅहगाई भत्ता	26.58	26.58
04-यात्रा भत्ता	1.00	1.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06-अन्य भत्ता	2.50	2.50
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	20.00	20.00
09-विद्युत देय	100.00	100.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	3.00	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35.00	35.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300.00	300.00
21-छात्रवृत्तियॉ/छात्र वेतन	3.00	3.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	30.00	30.00
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	5.51	5.51
39-औषधि तथा रसायन	20.00	20.00
40-औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा	5.00	5.00
42-अन्य व्यय	2.00	2.00
43-सामग्री एंव सम्पूर्ति	4.00	4.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8.00	8.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
49-चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
51-बर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	12.00	12.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	102.60	102.60
59-एक मुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01	0.01
कुल योग-	**786.03**	**786.03**

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।